

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

(शैक्षिक अनुभाग)

फा.सं.-1-2/ बी.एससी. (छात्रवृत्ति)/2026-शैक्षिक-II

दिनांक:

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एम्स, नई दिल्ली में वरिष्ठ रेजिडेंट (डी.एम./ एम.सी.एच) को थीसिस भत्ता प्रदान करने एवं थीसिस तथा प्रोटोकॉल जमा करने में देरी के लिए जुर्माने के प्रावधान संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि एम्स, नई दिल्ली में सीनियर रेजिडेंट्स को डी.एम./ एम.सी.एच 3-वर्ष के पाठ्यक्रम के तहत एक थीसिस/डिसर्टेशन तथा डी.एम./ एम.सी.एच डायरेक्ट 6-वर्ष पाठ्यक्रम के लिए दो थीसिस/डिसर्टेशन भत्ता के तहत 5000/- रुपये का थीसिस भत्ता प्रदान करने और थीसिस और प्रोटोकॉल जमा करने में देरी होने पर जुर्माना लगाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः सीनियर रेजिडेंट्स (डी.एम./ एम.सी.एच) को 5000/- रुपये का थीसिस भत्ता निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा:-

1. डी.एम./ एम.सी.एच (3-वर्ष) के छात्रों को थीसिस जमा करने के बाद एमडी/एमएस छात्रों को मिलने वाले अनुदान के समतुल्य एक थीसिस अनुदान प्रदान किया जाएगा।
2. डी.एम./ एम.सी.एच (डायरेक्ट 6-वर्ष का पाठ्यक्रम) के छात्रों को इस प्रकार के दो थीसिस अनुदान प्रदान किए जाएंगे।
3. प्रायोजित/विदेशी उम्मीदवारों को कोई थीसिस अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा।
4. डी.एम./ एम.सी.एच (3-वर्ष के छात्रों) को अपने थीसिस प्रोटोकॉल की योजना विभाग के संकाय सदस्य से अनुमोदित करवानी होगी और पंजीकरण की तारीख से 4 महीने के अंदर इसे शैक्षिक अनुभाग में जमा करना होगा।
5. प्रत्येक मामले में योग्यता के आधार पर संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) अधिकतम दो महीने की छूट दे सकते हैं। अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित समय में थीसिस प्रोटोकॉल जमा नहीं कर पाता है, तो उसका पंजीकरण रद्द अथवा बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, विस्तारित समय के दौरान छात्रावास सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
6. डी.एम./ एम.सी.एच (6 वर्ष) पाठ्यक्रम के लिए पहले की तरह प्रोटोकॉल, थीसिस जमा करने एवं परीक्षा के साथ दो थीसिस जमा करने की अनिवार्यता जारी रहेगी।
7. दोनों थीसिस को दूसरी थीसिस जमा करने की अंतिम तिथि पर या उससे पहले एक साथ जमा किया जा सकता है।

यह जानकारी सभी संबद्ध हेतु है।

प्राधिकार:-

1. दिनांक 12.09.2025 को हुई शासी निकाय की बैठक में एजेंडा मद संख्या 163/31 के तहत अनुमोदित।
2. स्थायी वित्त समिति द्वारा दिनांक 23.06.2025 को आयोजित बैठक में एजेंडा मद 230/5 के तहत अनुमोदित।
3. स्थायी शैक्षिक समिति द्वारा दिनांक 09.02.2023 को आयोजित बैठक में एजेंडा मद संख्या 121/6 के तहत अनुमोदित।

(प्रो. गिरिजा प्रसाद रथ)

कुलसचिव

वितरण:-

1. निदेशक, एम्स/संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/अपर निदेशक (प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव
2. सभी केंद्र प्रमुख (सीओसीएस) और विभागाध्यक्ष (एचओडी)
3. वरिष्ठ वित्त सलाहकार/उप-सचिव/वित्त सलाहकार
4. सहायक नियंत्रक (परीक्षा)
5. कंटेंट प्रोवाइडर (द्वारा: प्रभारी-आचार्य, कम्प्यूटर सुविधा) कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी विभागाध्यक्ष/केंद्र प्रमुखगण और विभाग की मेल पर अधिसूचना परिचालित करने के अनुरोध सहित।

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110029

(ACADEMIC SECTION)

No.F-1-2/Misc (DM/MCh)/2026-Acad.II

Dated: 16.01.2026

OFFICE MEMORANDUM**Subject: Grant of thesis allowance to Senior Residents (DM/MCh) and penalties for delay in submission of thesis and protocol at AIIMS, New Delhi.**

The undersigned is directed to convey the approval of the Competent Authority for the grant of Rs. 5000/- thesis allowance, for one thesis/dissertation allowance to Senior Residents (DM/MCh 3-year course), two thesis/dissertation allowances to (DM/MCh direct 6-year course) and penalties for delay in submission of thesis and protocol at AIIMS, New Delhi.

Henceforth, the thesis allowance of Rs.5000/- shall be provided to the Senior Residents (DM/MCh) with the following terms and conditions: -

1. DM/MCh (3-year) students would be provided one thesis grant equal to that provided to MD/MS students after submission of the thesis.
2. DM/MCh (direct 6-year course) students would be provided two such grants.
3. No thesis grant will be allowed for sponsored/foreign national candidates.
4. DM/MCh (3-year students) shall be required to get their plan of thesis protocol approved by the departmental faculty and submit it to the Academic Section within 4 months of the date of registration.
5. Relaxation may be granted by the Dean (Acad) on merit of each case for two months. If a candidate fails to submit the thesis protocol within the prescribed period, his/her registration may be cancelled/extended. However, during the extension period, a hostel shall not be provided.
6. DM/MCh (6 years) will continue to require two theses with protocol, thesis submission and exams as presently are being done.
7. Both theses could be submitted together on or before the second thesis deadline.

This is for the information of all concerned.

Authority: -

1. Approved by the Governing Body in its meeting held on 12.09.2025 vide agenda item no.163/31.
2. Approved by the Standing Finance Committee in its meeting held on 23.06.2025 vide agenda item 230/5
3. Approved by the Standing Academic Committee in its meeting held on 09.02.2023 vide agenda item no.121/6


(Prof. Girija Prasad Rath)
REGISTRAR

Distributions: -

1. PPS/PS to Director, AIIMS/Dean (Acad/Res/Exams)/Addl. Director (Admin.)
2. All Chiefs of the Centre (CoCs) and Heads of the Departments (HoDs)
3. Sr. Financial Advisor/DyS/Financial Advisor
4. Assistant Controller (Exams)
5. Content Provider (Thr: PIC, CF) to kindly upload the same on the AIIMS website & circulate the notification to all HODs/CoCs and Department mail.